न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 14/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

श्री महावीर पुत्र रामचन्द्र खटीक निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर बहैसियत मुख्तयार खास गुलाब पुत्र रायचंद भील निवासी बडला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

———प्रार्थी

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय , अजमेर।
2. तहसीलदार केकड़ी तह.केकड़ी जिला अजमेर

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 23.5.18

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम जाल का खेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2070–73 के खाता नम्बर 45 के खसरा नम्बर 32 रकबा 0.58 है. स्थित है। प्रतिवादी के ग्राम जूनियाय के सिवायचक खसरा नम्बर 1546 , 1547 है. एंव खसरा नम्बर 1567 जो कि सिवायचक है खाता स. 155 के खसरा नम्बर 33 जो प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी आराजी है। उक्त खसरा नम्बर 1567 गै. मु.पाल के पास स्थित होकर आता जा रहा है। उक्त रास्ते के अलावा वादी के कोई अन्य रास्ता आने जाने हेतु नही है। वादी इसी कदीमी रास्ते से आता जाता है। पडोसियों ,द्वारा अवैध कब्जा कर प्रार्थी को इस सिवाचक भूमि में से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में भी रास्ता तरमीम किये जाने का निवेदन किया है। यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भराई में पेश हुई । जवाब सरकार अनुसार पत्रावली में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2070–73 ग्राम जाल का खेडा खाता स. 45 पर खसरा नम्बर 32 रकबा 0.58 है. गुलाब पिता रायचन्द कौम भील सा.देह बडला तह. शाहपुरा जिला भिलवाडा के नाम दर्ज है एंव खाता स. 155 के खसरा नम्बर 33 रकबा 0.30 किस्म बारानी खसरा नम्बर 896 /33 रकबा 0.02 गै.मु.चाह किता 2 कुल रकबा 0.32 महावीर पुत्र रामचन्द्र कौम खटीक सा.जूनिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके के अनुसार प्रार्थी ग्राम जाल काखेडा के खातेदारी खसरानम्बर 32,33,896/33,पर ग्राम जूनिया के सिवायचक खसरा नम्बर 1546 ,1547 व 1567 पर से होकर जा रहा कच्चा रास्ता से करीब 12–13 वर्ष से जा रहा है । खसरानम्बर 1567 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. पाल जो कि मौके पर पाल नहीं होकर रास्ते के काम में आ रहा है। मोके अनुसार सिवायचक खसरा नम्बर 1546 में से रकबा 0.03 है. व खसरा नम्बर 1547 में से रकबा 0.02 कुल रकबा 500 वर्गमीटर रास्ता दिये जाना उचित बताया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । चूंकि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का **ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर के सिवाचयक खसरा नम्बर 1546 में से रकबा 0.03 है. व खसरा नम्बर 1547 में से रकबा 0.02 कुल रकबा 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता दिये जाने** हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जूनिया की डी.एल.सी. 2,43000 प्रति.है. की दर से 12150 रूपये के 2 गुणा 24,300 रूपये राशि बनती है। उक्त राशि नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.2018को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी